

पर्चा डिक्री

यालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी,  
जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प संख्या - 156/2022


तन :

- 1 रघुवीर पुत्र श्री अमीलाल जाति महाब्राह्मण आयु- 66 वर्ष निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
- 1/1 - श्रीमती भागो देवी पत्नी स्व० श्री रघुवीर जाति महाब्राह्मण निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
- 1/2 - श्रीमती बबीता पत्नी श्री विनोद पुत्री स्व० श्री रघुवीर जाति महाब्राह्मण निवासी शिव मंदिर रोड, 45, जी ब्लॉक, वार्ड नं० 26, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर
- 1/3 - श्रीमती सुमन पत्नी श्री किशनलाल पुत्री स्व० श्री रघुवीर जाति महाब्राह्मण निवासी 45, जी ब्लॉक, वार्ड नं० 30, श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर
- 1/4 - श्रीमती रेखा पत्नी श्री अर्जुन राम पुत्री स्व० श्री रघुवीर जाति महाब्राह्मण निवासी वार्ड नं० 4, चक 32 के.वाई. डी. (बी) खाजूवाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर
- 1 / 5 - विक्रम पुत्र स्व० श्री रघुवीर जाति महाब्राह्मण निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
- 1 /6 - सन्दीप पुत्र स्व० श्री रघुवीर जाति महाब्राह्मण निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
2. महावीर पुत्र श्री अमीलाल जाति महाब्राह्मण आयु - 47 वर्ष निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
3. श्रीमती मुखी पत्नी अमीलाल जाति महाब्राह्मण आयु - 72 वर्ष निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

वादीगण

बनाम

- 1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- 2 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

  
सहायक कलक्टर  
टिब्बी

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा


88 राजस्थान काश्तकारी अधि० 1955

उपस्थिति:-1 अधिवक्ता श्री अकितसिंहाना :-वादी

2 राजपैरोकार  
डिक्री

दिनांक 23/12/24

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी  
महा वकील वादी श्री अंकित सिडाना व राजपैरोकार अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत  
पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण  
वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि तथा घोषणा की जाती  
के चक 14 एस.एल.डब्ल्यू. जमाबंदी सम्वत् 2075-789 खाता संख्या-69/67 व चक  
र 5 एम. डी. जमाबंदी सम्वत् 2074-77 खाता संख्या-51 /43 में वादीगण की जाति  
के स्थान पर महाब्राह्मण अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते है, तहसीलदार  
की/हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन  
। हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अग्ल दरामद करे।  
पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/12/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी  
गई।

  
(सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
टिब्बी